उपयोग प्रमाण–पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली राशि की रिलीज के लिए अपनाई गई कार्यविधि में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारें इस आशय का उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये स्वीकृत की गई थीं और निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है । दूसरी और परवर्ती किस्तों की रिलीज के लिए लेखों तथा उन पर रिपोर्टों की लेखा परीक्षा एक पूर्व शर्त है ! राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें ! राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि यदि वित्त वर्ष के दौरान कोई खर्च न हुआ हो तो भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्हें रिलीज की गई प्रत्येक निधि के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र भेजें ।